

न्यायालय श्रीमान् राजस्व गंडल न्यायिकर कैम्प रीवा म.प्र.।



Rs. 20/-

मिगरानी 1484-II-15

इन्दलनाथ पिता मेवाला बहेलिया कौल § साकिन कुठ्ठा तहसील त्योंधर

.... पुनरीक्षणकर्ता

जिलारिवा म.प्र.।

नगरकोस्ट कू विद्यारी
आण विनामः 02-6-15
स किया गया

विरुद्ध

सिडर
सर्किट कोर्ट रीवा
रामकली पत्नी रायसिवा आदिवासी नि.मदरो तहसील त्योंधर जिलारिवा म.प्र.

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 2. सुग्रीव पिता मुजन् कौल | § सभी निवासी ग्राम भलुहा तहसील |
| 3. सिद्धनाथ पिता सुग्रीव कौल | § त्योंधर जिलारिवा म.प्र.। |
| 4. किनका पिता चित्तमनिथा कौल | § |
| 5. छकौडी पिता मोती चमार | § |
| 6. जगदीश पिता किशोर बसोर | § |
| 7. रामभुजर पिता मोती चमार | § |
| 8. महादेव पिता दुलारे चार | § |

..... गैरपुनरीक्षणकर्ता गिण

न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी त्योंधर
प्रकरण क्रं. 1183V/103पील/13-14 में पारित आदेश
दिनांक 26.5.15 के विरुद्ध पुनरीक्षण.

म.प्र. अ. रा. सं. की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

मान्यवर,

8/6/15

(8)


न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक

जि.गं-1484/II/115/र.वा.

इ.प्र.राजस्व/रा.म.म.गं

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
02/01/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>कर.प्र.राजस्व मण्डल ग्वालियर</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी <u>-र.वा.प्र.</u> के प्रकरण क्रमांक <u>118/र.गं-10/र.वा.प्र./13-14</u> में पारित आदेश दिनांक <u>26-5-15</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 राहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>-र.वा.</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>18/4/19</u> को कलेक्टर जिला <u>-र.वा.</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

